न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 38/2019

चन्दगीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी डूमरा हाल खिरोड (निठारवालों की ढाणी) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादी

बनाम

1. भगवानी
2. श्रवणी
3. पारी पुत्रियां धन्ना उर्फ पन्ना जाति निवासी खिरोड (मिठारवालों की ढाणी) तहसील नवलगढ

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अं.धारा 151 सीपीसी व धारा 144 सीपीसी

वकील वादी—श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील प्रतिवादीगण—श्री सुरेन्द्र सिंह भर्रा

आदेश

निर्णय तिथि 01.08.2019

वकील प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2016 को अं.धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया गया कि वादी ने एक उनवानी दावा चन्दगीराम बनाम भगवानी आदि माननीय न्यायालय में दिनांक 04.09.2008 को पेश किया जिसका मु0नं0 161/2008 है, जिसको अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 06.04.2016 को खारीज कर दिया। उपरोक्त उनवानी दावा में प्रतिवादीगण पर समूचित तामील नही हुई माननीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 03.07.2009 को वादी का दावा एक पक्षीय निर्णय व डिक्री कर दिया, एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2009की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू के समक्ष पेश की है। अपील के दोरान में वादी रेस्पोडेन्ट की मृत्यु हो गई वादी के विधिक वारिस संतोषदेवी पत्नी चन्दगीराम, जितेन्द्र उर्फ जीताराम पुत्र चन्दगीराम सरीता कविता उर्फ मुनी पुत्रियां चन्दगीराम को रिकार्ड अभिलेख पर लिया गया है। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय व डिक्री भी अपीलीय न्यायालय में अपील पेश कर रखी थी, लेकिन तहसीलदार नवलगढ ने आदेश दिनांक 03.07.2009 की पालना करते हुये ग्राम मिठारवालों की ढाणी में अवस्थित भूमि ख.न. 2111/2.57, 2138/1.52 किता 2 कुल रकबा 4.09 है0 में चन्दगीराम पुत्र सुरजाराम हि0 1/5 निवासी डूमरा दर्ज किया है। चन्दगीराम के फौत होने पर नामा0स0 105 दिनांक 05.08.2013 को चन्दगीराम के फौत होने पर हिस्सा 1/5 संतोषदेवी पत्नी स्व0 चन्दगीराम जितेन्द्र पुत्र चन्दगीराम सरीता, कविता, पुत्रियां चन्दगीराम के नाम से दर्ज हुआ जो आज वर्तमान में भी दर्ज है। मा0 अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू ने अपीलान्ट की और से प्रस्तुत अपील का निर्णय दिनांक 10.12.2014 को सुनाया। राजस्व अपील अधिकारी ने अपीलान्टगण की अपील स्वीकार कर न्यायालय हाजा का एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 0307.2009 को खारीज किया गया। तथा प्रकरण मातहत न्यायालय को अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देते हुये पुनः निर्णय करने बाबत निर्देशित किया गया। न्यायालय हाजा में दिनांक 27.07.2015 को प्रार्थना पत्र पेश होने पर उपरोक्त उनवानी दावा न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो मु0नं0 162/2015 दर्ज हुआ। पत्रावली अग्रीम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.09.2015 को पेश हुई। न्यायालय हाजा में वादी उपस्थित नही होने के कारण वादी का दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 06.04.2016 को खारीज हो गया है तथा न्यायालय हाजा के पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

र्णय व डिकी को अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 10.2.2014 को निरस्त कर दिया। उनवानी दावा ंन0 161/2008 को एक पक्षीय निर्णय व डिकी न्यायालय के आदेशानुसार हुआ है इसी आदेशानुसार ाजस्व रिकार्ड में परिवर्तन हुआ है, न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 03.07.2009 को अपीलीय ायालय निरस्त करते हुये न्यायालय हाजा को पुनः सुनवाई करते हुये निर्णय पारित करने हेतु इस करण को प्रेषित किया है जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2016 को खारीज कर दिया। ग्राम ठावालों की ढाणी की भूमि ख.न. 2111/2.57, 2138/1.52है0किता 2 कुल रकबा 4.09 है0 के राजस्व िकार्ड में परिवर्तन श्रीमान के आदेशानुसार हुआ है, प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत प्रा0प0 अं0धारा 151 ा0 दीवानी को स्वीकार कर तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे कि ग्राम मिठारवालो की ाणी की उपरोक्त भूमि में न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 03.07.2009 से हुये परिवर्तन को दुरूस्त किया जावे तथा मूल वाद पेश करने से पूर्व का राजस्व रिकार्ड कायम किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री महेश कुमार नारनोलिया एडवोकेट ने वकालतनामा व जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी मेन्टेबल नही है। मूल वाद पेश होने से पूर्व के राजस्व रिकार्ड कायम करवाने के लिये नियमित वाद पेश करना चाहिये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दोनो पक्ष ने बहस में प्रार्थना पत्र व जबाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय द्वारा दावा संख्या 161/2008 चन्दगीराम बनाम भगवानी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2009 के द्वारा ग्राम खिरोड के ख.न. 211 व 238 में वादी चन्दगीराम को 1/5 हिस्से का खतोदार घोषित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा अपील सं0 5/2010 निर्णय दिनांक 10.12.2014 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 03.07.2009 को निरस्त कर दिया गया। निर्णय दिनांक 03.07.2009 होने से पूर्व स्थिति का स्वतः रिकार्ड में अंकन कर देना चाहिये था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिया जाता है कि किसी न्यायालय का स्थगन न होने से इस न्यायालय के दावा सं0 61/2008 चन्दगीराम बनाम भगवानी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2009 निरस्त होने से इससे पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

1-8-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner